# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिरौल दरभंगा

शिव दुलारी देवी

वनाम

अनावाद सर्व साधारण एवं महेन्द्र सदा वगै0

वाद संख्या–~~27~~ 23/2013–14

वाद का प्रकार–अधिकार का प्रख्यापन

**आदेश**

**26.12.2013** यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

**प्रश्नगत भूमि का विवरण**

मौजा गोलमा

| **खाता** | **खेसरा** | **रकवा** | **चौहद्दी** |
|---|---|---|---|
| 172 | 462 | 07 कट्ठा | उ0–देव प्र0 सिंह<br>द0–नागो राय<br>पु0–नीज फरीकैन<br>प0–सुखदेव प्र0 सिंह |

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि प्रश्नगत भूमि केवाला द्वारा प्राप्त है तथा केवाला की तिथि से आवेदिका के शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है तथा अद्यतन राजस्व अदायकर रसीद प्राप्त करते आ रहे है। वादिनी के उक्त भूमि में रब्बी का फसल लगा हुआ है जिसे विपक्षीगण अपने आपराधिक प्रवृति से खेत में लगे फसल को काटने तथा अपना घर बनाकर हड़पने की धमकी देता है। विवादित भूमि का हाल खतियान अनावाद सर्वसाधारण के नाम से दर्ज हो गया है जिस पर वादिनी द्वारा जानकारी के अभाव में कहीं किसी न्यायालय में आपत्ति दर्ज नही की गई है।

वहीं अंचलाधिकारी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुर्व में नदी थी, भरैन होकर भीठ हो गया एवं उसे भूमिहीनो/महादलितो को बन्दोबस्ती अभिलेख सं0–5/2009–10 के द्वारा आवंटित की गई है इस संदर्भ में ज्ञात हो कि प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के ज्ञापांक 671 दिनांक 21.10.2009 एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा के ज्ञापांक 9014 दिनांक 23.10.2009 के आलोक में महादलित परिवारो को गृहस्थल योजना अन्तर्गत प्रति परिवार 03 डि0 अधिसीमा संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से ट्रेश नक्शा के साथ स्थानीय सर्वेक्षण कर भू आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया एवं वित्तरण किया गया छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत स्थल पर महादलित परिवारो जिनको भूबन्दोबस्त किया गया है का दखल कब्जा वो झोपड़ी वो अधिपत्य कायम है एवं वादी इर्द गिर्द में भी नही है और न ही उन्हे सम्बद्धता है। अन्य प्रतिवादी लाभूक महादलित परिवार है वादी के नाम तथा कथित जमाबंदी वो लगान रसीद को विधानुसार निरस्त करने की प्रवृत किया गया है।

दुसरी तरफ प्रतिवादीगण 2 से 5 तक का संक्षेप में कहना है कि प्रतिवादीगण को पुर्वजो के समय से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है जिससे वादी को कोई एलाका वो सरोकार नही है चूकि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगण महादलित का अवासीय मकानमय सहन के शांतिपुर्ण चला आ रहा है जहॉ तक एक ओर सरकार द्वारा महादलित को भूमि उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे वादी अवैध केवाला एवं फर्जी कागजात के आधार पर वेदखल एवं वेघर करने हेतु उक्त वाद पत्र दायर किये है। हाल खतियान भी अनावाद सर्व साधारण दर्ज है जो सरकारी भूमि का होना दर्शाता है एवं पर्चा की सम्पुष्टि की जाती है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध करये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादिनी द्वारा वाद पत्र में वर्णित पुराना खेसरा 462 पर अधिकार की प्रख्यापन की मॉग की गई है। वादिनी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि आवेदिका के पति को केवाला से प्राप्त है। वादिनी द्वारा केवाला की प्रति संलग्न की गई है। वादिनी अपने वाद पत्र में कहती है कि हाल खतियान अनावाद सर्वसाधारण बन गया। यद्यपि हाल खतियान की प्रति संलग्न नही की गई है एवं यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि पुराना खेसरा 462 से कौन सा नया खेसरा बना है। केवाला के

अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकेता द्वारा वादिनी के पति को दिनांक 19.09.91 को केवाला किया गया जबकि हाल खतियान उससे पुर्व ही बन गया था यानि निबंधन की तिथि को प्रश्नगत भूमि अनावाद सर्व साधारण की रही होगी जबकि दिनांक 19.09.91 को विकेता द्वारा उक्त भूमि का केवाला वादिनी के पति के नाम से किया गया। बिहार सरकार या सर्व साधारण की भूमि को किसी रैयत द्वारा केवाला किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वादिनी के दावा को खारिज किया जाता है। दुसरे तरफ प्रतिवादीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उनलोगो को बन्दोबस्ती पर्चा मिला है परंतु इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। वाद संख्या 22/13–14 में अंचलाधिकारी कु0 स्थान पुर्वी द्वारा संलग्न पर्चा आवंटन संबंधी अभिलेख एवं पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये नक्शा एवं भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नया खेसरा 521 बहुत सारे पुराना खेसरा से बना है एवं जिसका कुल रकवा 37 एकड़ है। नया खेसरा 521 के कुल रकवा 37 एकड़ में से 2 एकड़ 40 डि0 पर 80 भूमिहीनो को बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत किया गया है जिसका पुराना खेसरा 283, 371, 447, 459, एवं 460 है। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणो को यदि पर्चा निर्गत है तो वह प्रश्नगत भूमि (पुराना खेसरा 462) पर नही है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादीगणो का भी दावा स्वीकार योग्य नही है। अतः वर्तमान परिस्थिति में साक्ष्यों के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी दोनो के दावा को खारिज किया जाता है एवं हाल खतियान के अनुसार अनावाद बिहार सरकार का दावा मान्य होगा।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल